

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)

पत्रांक-04/ STA-(विविध)-11/2018

3935 पटना, दिनांक- 15/6/18

निवधित

प्रेषक,

सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
सभी मोटरयान निरीक्षक,
सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक,
बिहार।

विषय:-

बिहार-दिल्ली एवं बिहार-उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य वाहनों का बिना परमिट के अवैध परिचालन पर रोक लगाने संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :-

विभागीय आदेश ज्ञापांक-2257, दिनांक-02.04.2018, विभागीय पत्रांक-2295 दिनांक-03.04.2018, पत्रांक-2528 दिनांक-12.04.2018 एवं पत्रांक-3641 दिनांक-01.06.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेश एवं विभागीय पत्र का स्मरण किया जाय, जिसके द्वारा बिहार-दिल्ली एवं बिहार-उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य बिना परमिट के वाहनों के अवैध परिचालन पर रोक लगाने हेतु अभियान चलाकर जाँच करने को आदेश संसूचित किया गया था, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है।

अतएव पुनः अनुरोध है कि अभी तक की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर निश्चित रूप से राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि कृत कार्रवाई से सचिव, परिवहन विभाग को अवगत कराया जा सके।

2. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

विश्वासभाजन,



सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)

पत्रांक-04/ STA-(विविध)-11/2018

पटना, दिनांक-

निबंधित

प्रेषक,

सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
सभी मोटरयान निरीक्षक,
सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक,
बिहार।

विषय:- बिहार-दिल्ली एवं बिहार-उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य वाहनों का बिना परमिट के अवैध परिचालन पर रोक लगाने संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय आदेश ज्ञापांक-2257, दिनांक-02.04.2018, विभागीय पत्रांक-2295 दिनांक-03.04.2018, पत्रांक-2528 दिनांक-12.04.2018 एवं पत्रांक-3641 दिनांक-01.06.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेश एवं विभागीय पत्र का स्मरण किया जाय, जिसके द्वारा बिहार-दिल्ली एवं बिहार-उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य बिना परमिट के वाहनों के अवैध परिचालन पर रोक लगाने हेतु अभियान चलाकर जाँच करने को आदेश संसूचित किया गया था, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है।

अतएव पुनः अनुरोध है कि अभी तक की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर निश्चित रूप से राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि कृत कार्रवाई से सचिव, परिवहन विभाग को अवगत कराया जा सके।

2. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

3995

पटना, दिनांक:- 15/6/18

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधितों को उनके ई-मेल पर तत्काल अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।